राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837, **फैक्स** 0141–2742309, **ई मेल:**–jacct.dta@rajasthan

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे–III/535 **दिनांकः–** 04-02-2026

आदेश संख्या...524../2025–26

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा–2013 में सफल घोषित होने एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंषा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम–1963 के नियम–6 के अनुसार निम्नाकित अभ्यर्थी को एतद द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप मे उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन–भत्तों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नाकिंत तालिका के कॉलम संख्या 4 में उनके समक्ष अंकित विभाग/कार्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email:- jacct.dta@rajasthan.gov.in पद पर आवश्यक रूप से सूचित करेः–

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम रोल नं.– मेरिट क्रमांक/वर्ष	जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय	अभ्यर्थी का फोटों
1	2	3	4	5
1	PRADEEP YADAV S/O RAMNIWAS YADAV ROLL NO. - 907388 3533/2013 OBC-SP	07-07-1991	TREASURY OFFICER STATE CYBER TREASURY(SCHEMES), TREASURIES AND ACCOUNTS , JAIPUR	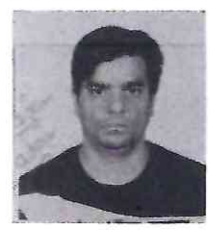

उपरोक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन दी जा रही है:–

1. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15 (1)एफडी/रुल्स/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एल०पी० 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
2. यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोष जनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15 (1) एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे–मेट्रिक्स लेवल–10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होगें।
5. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
6. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय चिकित्सा अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
7. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक

समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुतीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

8. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–1 में आने वाले मामलों को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।

9. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमे एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नही है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

10. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सि. रिट याचिका संख्या 5513/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2026 की पालना में प्रदान की जा रही है।

11. उक्त नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1464–66/2017 कैप्टन गुरुविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर एस बी सिविल याचिका सं. 13077/2018 श्री भरत कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अंतिम निर्णय के अध्यधीन दी जा रही है। उक्त नियुक्तियों उक्त पदों के संबंध में माननीय राज, उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन विभिन्न रिट याचिकाओं में होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। इसके अतिरिक्त उक्त पदों एंव इस परीक्षा के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एंव सर्वोच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं में पारित होने वाले आदेश/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन एंव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति/तथ्य के प्रकरणों में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

12. उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त आदेश की पालना में संबंधित विभाग/कार्यालय में आदेश जारी किये जाने के 15 दिवस में कार्यग्रहण नहीं करते है और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

13. उक्त नियुक्ति आदेश वित्त (राजस्व) विभाग से प्राप्त सहमति दिनांक 03.02.2026 के क्रम में जारी किये जाते है।

4/2/2026

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/अलेसे–III/535 **दिनांकः–** 04-02-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी (विधि) निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
6. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.. को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी से संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
9. संयुक्त निदेशक (एसीपी), कोष एवं लेखा, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस (COINS) रिकार्ड के संधारण हेतु।
10. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार श्री.. को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र निदेशालय को प्रेषित करावें।
11. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)